न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/21/2021 दायर दिनांक 01.09.2021

उनवान

1. भूरी पत्नि भैरू डांगी आयु वयस्क निवासी बड का अमराणा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीया।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 01.12.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—:निर्णयः—

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 केम्प ग्राम पंचायत लांगच में पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कोदीयाखेडी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 42, 67, 68, 71 है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 385 दिनांक 23.04.2021 को फैसल दिनांक 07.06.2021 को स्वीकृत हुआ जिसमें मेरा नाम नर्बदा लिख दिया है जो मेरा उपनाम है, जबकि सभी आधार कार्ड व पहचान पत्र में मेरा नाम भूरी बाई दर्ज है, इसलिये राजस्व रेकार्ड में नर्बदा के स्थान पर भूरी बाई दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

यह की मैनें दिनांक 06.08.2021 को नकल प्राप्त की तब मुझे इस बात की जानकारी हुई की मेरा नाम राजस्व रेकार्ड में नर्बदा अंकित हो गया है जो कि मेरा उपनाम है, जबकि सभी सरकारी दस्तावेज [illegible] नाम भूरी बाई है। जिससे राजस्व रेकार्ड में भी मेरा नाम भूरी बाई दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:44 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम कोदीयाखेडी के खाता संख्या 42, 67, 68, 71 में मेरा नाम नर्बदा के स्थान पर भूरी बाई दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत लांगच में आदेशिका पर नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

प्रार्थीया ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम कोदीयाखेडी की खाता संख्या 42, 67, 68, 71 व पहचान पत्र की फोटोप्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। सहखातेदार गुड्डी, प्रभूलाल, शान्तिलाल पिता बालुराम, नन्दुबाई पत्नि बालुराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में भूरी बाई का नाम नर्बदा लिख दिया गया है जो कि उसका उपनाम है। भूरी बाई व नर्बदा एक ही है, अतः राजस्व रेकार्ड में भूरी बाई नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत लांगच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में नर्बदा व भूरी बाई नाम की कोदीयाखेडी में एक ही महिला है जो विवाह उपरान्त वर्तमान में ग्राम बड का अमराणा तहसील चित्तौड़गढ़ में निवासरत है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया का खाता संख्या 42, 67, 68, 71 में नर्बदा पुत्री बालुराम जाति डांगी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया का नाम भूरी बाई प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदारों के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत लांगच के प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा कोदीयाखेडी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 42, 67, 68, 71 में दर्ज नर्बदा पुत्री बालुराम जाति डांगी के बजाय भूरी बाई पुत्री बालुराम जाति डांगी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:44 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official